संख्या- 2991/71-2-12-55/201

प्रेषक,

शिवराम त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2012

विषय:-सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से चयनित चिकित्सा छात्रों को पुनः सी0पी0एम0टी0 परीक्षा/काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-3/2012/1813, दिनांक 07-08-2012, पत्र संख्या--एम0ई0-3/2012/2056, दिनांक 11-09-2012 एवं शासन के पत्र संख्या-928-सेक-14/पांच-96-37/96, दिनांक-22-4-1996 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा छात्रों के भविष्य एवं चिकित्सा शिक्षा के बेहतर दृष्टिकोण के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी/छात्र जो सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर किसी पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो जाते है, उन्हें आगामी सी0पी0एम0टी0 परीक्षा मे बैठने/काउंसिलिंग मे भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाय तथा यदि उन्हें काउंसिलिंग के उपरांत वांछित विधा की सीट आवंटित हो जाती है तो वह पूर्व आवंटित पाठ्यक्रम से त्यागपत्र देने के उपरांत नवीन विधा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश दिनांक 22-4-1996 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव।

OS 1|1

18-9-12

संख्या- 2991(1)/71-2-12-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, आर0आई0एम0एस0, सैफई, इटावा, आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
4. चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा,

(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव।

E Med.Edu. G-O-3